



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

NAAC Accreditation: "A" Grade

कादर नवाज खान

Kadar Nawaz Khan

कुलसचिव/ Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

क्रमांक: 005/2013/DTT/10 (4-1)/269

तिथि : 11.07.2017

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय पी-एच.डी. अध्यादेश 45/2009 के अनुच्छेद 07.2 तथा 07.3 के आलोक में पी-एच.डी. अनुवाद अध्ययन विभाग (सत्र 2012-13) के निम्नलिखित शोधार्थियों को उनके आवेदन के आलोक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थिति में 03 माह की अतिरिक्त अवधि (05 वर्ष पूर्ण होने की अवधि के पश्चात) शोध-प्रबंध जमा करने के लिए प्रदान की जाती है-

क्र.सं.	शोधार्थी का नाम	प्रवेश/पंजीयन तिथि	05 वर्ष पूर्ण होने की अवधि
01	श्री सुधीर गौतमराव जिंदे	23.07.2012	22.07.2017
02	सुश्री मेघा आचार्य	18.07.2012	17.07.2017

उक्त अवधि के लिए इन्हें किसी प्रकार की फेलोशिप देय नहीं होगी। साथ ही दी गई अवधि के भीतर शोधार्थियों द्वारा शोध-प्रबंध जमा नहीं करने की स्थिति में उनका पी-एच.डी. का पंजीयन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज
(कादर नवाज खान)

12/07/17

प्रति: संबंधित शोधार्थी।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।

1. कुलपति कार्यालय।
2. विभागाध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग को उक्त प्रकरण सक्षम निकाय में कार्यान्वयन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ।
3. परीक्षा विभाग।
4. अकादमिक विभाग।
5. वित्त विभाग।
6. पं. रा. सा. केंद्रीय पुस्तकालय।
7. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. संबंधित फाइल